

उत्तरार्ध

नौ अक्टूबर दो हजार ग्यारह का नोएडा सम्मेलन सम्पन्न

दिनांक नौ से ग्यारह अक्टूबर तक के तीन दिनों तक दिल्ली के पास नोएडा सेक्टर तेंतीस के अग्रसेन भवन में ज्ञान यज्ञ परिवार से जुड़े संगठनों तथा व्यक्तियों का राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में देश भर के सभी प्रदेशों से आये लगभग एक सौ पचीस प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन की तारीखों का उद्देश्य ऐतिहासिक था कि नौ अक्टूबर के ठीक छः माह पूर्व भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार एक ऐतिहासिक घटना घटी जिसमें अन्ना हजारे के नेतृत्व में प्रारंभ लोक जागरण अभियान के अंतर्गत पांच दिनों में ही तंत्र ने लोक शक्ति के समक्ष घुटने टेक दिये थे। यद्यपि उक्त संघर्ष का दूसरा चरण ज्यादा महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक माना जायगा क्योंकि उस दिन साठ-पैंसठ वर्षों में पहली बार लोक शक्ति ने निर्णायक बढ़त ली।

उसी की अर्धवार्षिकी के उपलक्ष्य में नौ अक्टूबर को यह सम्मेलन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ। प्रारंभ में उक्त लोक दिवस के उपलक्ष्य में दोप जलाया गया। दीप प्रज्वलन सभा अध्यक्ष श्री अशोक गदिया जी ने किया। रीवा से आये कवि अनिल जी ने सम्मान गीत सुनाया। ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान के संयोजक राकेश शुक्ला जी ने संक्षेप में उन परिस्थितियों का विचार रखा जिनमें लोक और तंत्र के बीच इस सीमा तक दूरी बढ़ती गई तथा इतने वर्ष बाद लोक के धैर्य का बांध अन्ना हजारे आंदोलन के रूप में सामने आया।

राकेश जी ने बताया। “हमारे देश की जिस आजादी के लिये भारत माता के सपूतों ने स्वयं के परिवार व प्राणों की चिन्ता न करते हुए फांसी के फन्दे को चूमा, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लाखों भारतीयों ने आत्माहुति दी। उसके पीछे आजादी का जो भाव था, लगता है, हम उसे भूल गये हैं। हम अपने पथ से विचलित हुए हैं। हमने गांधी जी के मार्ग को त्यागा है। इस सबके परिणाम स्वरूप ही आज हमारे देश पर गोरों अंगजों के स्थान पर काले अंग्रेजों का शासन हो रहा है। भ्रष्टाचार रूपा सुरसा हमारे समक्ष मुंह बाए खड़ी है। भारत का करोड़ों रूपया विदेशी बैंकों में नेताओं के खाते की शोभा बढ़ा रहा है। उसकी वापसी हेतु आंदोलन करने वाले बाबा रामदेव और हजारों देश भक्तों पर इस देश की सरकार जलियावाला कांड की पुनरावृत्ति करती है जिसमें एक महिला शहीद भी हो जाती है। क्या इस देश के शहीदों ने इसी आजादी के लिये संघर्ष किया था।

अनेक प्रयत्नों तथा चेतावनियों के बाद भी तंत्र ने लोक की बात अनसुनी की। जय प्रकाश जी की कोशिशों को पहले तो दबाने की कोशिश की गई और बाद में उनके प्रयत्नों का मार्गान्तरण कर दिया गया। व्यवस्था परिवर्तन की कोशिशें सत्ता परिवर्तन में बदल गईं। सारे प्रयत्न बेकार सिद्ध हुए। ठाकुर दास जी बंग ने योजना बनाई किन्तु स्वास्थ्य संबंधी कमजोरी तथा मुनि जी के वानप्रस्थ के कारण योजना पूरी नहीं हो सकी। उस योजना को अन्ना हजारे जी ने आगे बढ़ाया। समाज के अंदर ज्ञान क्रान्ति अभियान ने लोक स्वराज्य की भूख पैदा की जो आंदोलन अन्ना के समय विस्फोट बनकर सामने आई। टीम तंत्र उक्त विस्फोट को नहीं समझल सकी जिसका परिणाम हुआ कि पांच ही दिन में तंत्र ने हथियार डाल दिये। निश्चित रूप से ठाकुर दास जी बंग, अन्ना जी हजारे आदि इसके लिये बधाई के पात्र हैं तथा आज का दिन जो नौ अप्रैल की घटना की अर्धवार्षिकी के रूप में है वह एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया ही जाना चाहिये।

इस अवसर पर व्यवस्था परिवर्तन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य पंकज ने भी विचार रखते हुए कहा कि आज हर व्यक्ति व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है। अब तो सत्ता परिवर्तन भी अप्रासंगिक हो गया है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सत्ता परिवर्तन न कह करके अव्यवस्था परिवर्तन कहा जाये तो ज्यादा अच्छा लगता है। जो व्यवस्था परिवर्तन का नाम ले रहे हैं वे भी राजनीतिक दलों का हराने व जिताने के काम में लग गये हैं। जहाँ हम प्रकाश देख रहे थे। वहाँ भी धुआं दिखाई दे रहा है। किसो भी देश को वहाँ का संविधान चलाया करता है लेकिन इस विषय पर बजरंग जी ने कहा है कि संविधान में खुद परिवर्तन करके व्यवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिये लोक या जन दबाव की आवश्यकता है। रास्ता लम्बा है। धैर्य की आवश्यकता है। हम बहुत जल्दी धैर्य खा जाते हैं। सरगुजा के रामचंद्रपुर ब्लाक में समानान्तर लोक स्वराज्य सरकार चल रहा है। जिस दिन बजरंग जी ने उसका प्रस्तुतिकरण किया उसे हमने देखा है। बिना हल्ला गुल्ला किये परिवर्तन का कार्य चल रहा है। रामचंद्र पुर ब्लाक हमारे लिये माडल बनेगा।

बजरंग मुनि जी ने विस्तार पूर्वक नौ अप्रैल के पूर्व का इतिहास तथा वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि “मैं सभी समस्याओं को लेकर बहुत चिंतित था। जेल में गया, बाहर आया, सरकार बदली सरकार में मेरी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लगा, अब समस्याएं हल हो जायगी लेकिन कुछ नहीं हुआ। इमानदार प्रयत्नों के बाद भी अपने शहर में भ्रष्टाचार गुण्डागर्दी व अन्य समस्याओं को नहीं रोक पाया। तब मुझे लगा कि समस्याओं के समाधान में सत्ता सहायक तो हो सकती है लेकिन सत्ता उसका समाधान नहीं है। समस्या कही और है और समाधान कहाँ और। 25 दिसम्बर 1984 को मैंने सत्ता का मोह छोड़ दिया। राजनीति पर से मेरा भरोसा टूट गया। सारे राजनैतिक कार्यों को तिलांजली देकर, जंगल में एक छोटा सा कमरा बनाकर वहाँ बैठकर रिसर्च शुरू किया। सोचा कि वर्तमान समय में हमारी समस्याएं क्या हैं और समाधान क्या है। इस सब के विचारार्थ अपने स्वास्थ्य और क्षमता को ध्यान में रखते हुए 25 दिसम्बर 1984 का घोषित किया कि 25 वर्षों तक सारी शक्ति लगातार इस कार्य में प्रयत्न करूंगा और यदि कोई परिणाम नहीं आया तो वानप्रस्थ लेकर इसे छोड़ दूंगा। प्रयत्न शुरू हुआ। सर्वोदय के प्रसिद्ध विचारक ठाकुर दास जी बंग भी 1990 में हमारे साथ जुड़े। मुझे लगा कि मुझे गंभीर गांधीवादी के पीछे चलना चाहिये। हमने आगे बढ़ना शुरू किया।

संविधान में तंत्र की भूमिका कस्टोडियन की मानी गयी है, प्रबंधक की नहीं। अब वहाँ से यह घपला शुरू हुआ और हमारी व्यवस्था प्रबंधक को जगह कस्टोडियन की तरह आगे बढ़ने लगी। जो कुछ भी हुआ वह आज परिणाम के रूप में दिखने लगा। हमारे पास सिर्फ वोट देने का अधिकार है। वोट के बाद वे हमारे मालिक और हम उनके गुलाम बन जाते हैं। पांच वर्ष बाद फिर हमसे पूछा जाता है। पूछने का रूप सेवक या स्वामी बनकर या कुछ भी हो सकता है। कि मुझे ही मालिक बनाकर रखना चाहते हो या बदलना चाहते हो। यदि मैं

मना करू कि मैं किसी को मालिक बनाना नहीं चाहता तो मुझे कहा जाता है कि बनाना तो पड़ेगा ही क्योंकि संविधान में ऐसा ही लिखा है। अतः आपको मालिक अवश्य चुनना होगा। अर्थात् आपको फांसी का आदेश हो गया है। इस निमित्त इन पांच जल्लादों में से एक को चुनना अनिवार्य है जिसे आपको फांसी चढ़ाना है। फांसी चढ़ते वक्त रोओगे तो वह कहेगा रोते क्यों हो, तुमने ही तो चुना था, फांसी देने के लिये राजनेताओं ने समाज को धोखा दिया और उन लोगों ने लोकतंत्र की परिभाषा बदलकर गांधी भक्तों को यह समझा दिया कि गांधी जी ने यह कहा है कि तुम तो आदर्श समाज बनाओ अच्छा गांव होना चाहिये, अच्छी खेती होनी चाहिये, स्वावलंबन होना चाहिये खादी पहिनना चाहिये। अर्थात् एक घोड़ा घास चर रहा है। वह मालिक से कह रहा है कि मेरा पेट नहीं भर रहा है। हमारे सन्त लोग भी यही सलाह देते हैं कि हमें और अच्छी घास लगाना चाहिये ताकि घोड़ा चरता रहे। वह अपना पशु है। काम आयेगा। अतः हम तो केवल घास लगाने के लिये पैदा हुए हैं और वह खाने के लिये पैदा हुआ है। तंत्र हो गया खाने वाला और लोक हो गया घास लगाने वाला। बीच में संत हो गये लोक को सलाह देने वाले। घास और लगाओ। हमने कहा सारी समस्याओं का एक ही समाधान है लोक और तंत्र के संबंधों का पुनः निर्धारण होना चाहिये।”

“ तंत्र हमारा मैनजर है कि मालिक ” यह प्रश्न उठा। तब यह सुझाव आया कि हमें कहीं न कहीं प्रक्टिकल करके दिखाना चाहिये। मैं नगरपालिका का चेयरमैन बना। मेरे सामने चुनौती थी कि वर्तमान संविधान के ऐसा ही रहते हुए लोक स्वराज्य की अवधारणा के परिणामों को प्रमाणित करके दिखाना है। जैसे टी. एन. शेषन ने कर दिखाया था। हमने नगर पालिका में सारे अधिकार जनता को दे दिये। वहाँ कुछ भी जनता से छिपाकर नहीं हो रहा था। चोरो डकैती रोक ली गयी। 10 प्रतिशत घूस मान्यता दी। यह भ्रष्टाचार नहीं था। भ्रष्टाचार वहाँ होता है जो मालिक से छिपाकर किया जाये। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। 2005 आते आते संविधान और कानून के अनुसार मेरा कार्य खत्म हो गया। प्रयोग पूरा हो गया। हमने सिद्ध कर दिया कि यदि लोक और तंत्र के बीच की दूरी घट जाये तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमारी सरकार को जब ऐसा मालूम हुआ कि रामानुजगंज में संविधान संशोधन पर चिन्तन हो रहा है। वहाँ अनेक विद्वान लोग आकर बैठ रहे हैं। हिन्दू मुस्लिम सब एक है तो सरकार को चिन्ता हुई कि ये सब एक हो गये तो हमारी पावर घटा देंगे। उन्होंने हमारे उपर आक्रमण किया। यद्यपि हम न्यायालय से जीत गये। हमारा आंदोलन है कि सरकार के अधिकारों की समीक्षा होनी चाहिये। आदेशों की नहीं। हम वर्तमान गुलामी की जेल में बंद ह। एक संत हमें आकर कहते हैं कि तुम जेल में बंद हो। व्यायाम किया करो। स्वस्थ रहो, अच्छा खाना खाया करो। चिन्ता मत करो। जेल का कैदी कहता है कि हमें बताओ कि हम जेल से कैसे छूटेंगे? उसने कहा इसे छोड़कर मुझसे बाकी सब प्रश्नों के उत्तर ले लो। सलाहकार की सलाह हम मानेंगे किन्तु वह हमारा समाधान नहीं है। जो सरकार के गलत कामों का विरोध करने वाले लोग हैं वे सरकार की वर्तमान व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहे हैं। केवल इतना कर रहे हैं कि वर्तमान व्यवस्था में ऐसा संशोधन कर दिया जाये तो आपकी व्यवस्था और लम्बी चलेगी। आप समझें कि जो लोग भारत की वर्तमान व्यवस्था के दोषों की चर्चा करके उनमें सुधार करने की बात कर रहे हैं उनका हम समर्थन करेंगे। लेकिन वह समाधान नहीं है। समाधान तो यह होगा कि हम सहयोग किसका करेंगे सहभागिता किसके साथ करेंगे। अतः जो हमें लोक स्वराज्य की दिशा में गांधी जी हमें जहाँ छोड़ा था, वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो उसके साथ हमारा सहयोग होगा और सहभागिता होगी। हम जो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं उसमें जो दो तीन बातें हैं वे ये हैं कि अन्ना हजारे जी और ठाकुर बंग जी ने जो कार्य किया है हम उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं यदि वे भविष्य में लोक स्वराज्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो उसके प्रति हम अपने सहयोग और सहभागिता का आश्वासन देते हैं। हमारा सहयोग और समर्थन व्यक्ति के प्रति नहीं उनके प्रति तो हमने कृतज्ञता प्रकट की है, आंदोलन के प्रति है। जो लोक स्वराज्य की दिशा में जायेगा, जो हमें मालिक बनायेगा। अर्थात् लोक और तंत्र के बीच में अधिकारों को पुनर्व्याख्या होनी चाहिये।

मुनि जी के व्याख्यान के बाद अध्यक्ष अशोक गदिया जी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए संक्षिप्त बात रखी। “वर्तमान समय में अपने देश में अनेक लोग अपने अपने तरीके से व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में लगे हैं। सब एक साथ एक मंच पर एकत्र होकर सामूहिक रूप से विचार करे तो अच्छा रहेगा। ताकि हम व्यवस्था परिवर्तन के तत्व ज्ञान से विचलित न हो पायें। सत्ता परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन प्रशासनिक परिवर्तन राजनैतिक परिवर्तन इन सब में बहुत कम दूरियाँ हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हो जायगा। ऐसा समझने की गलती 1947 से हमने बार बार की है। अनेक संगठनों में बाद में पहले से भी ज्यादा सत्ता की भूख दिखायी दी। इसलिये हम समझ नहीं पाते कि हमारे शरीर में रोग कहाँ है और हम इसका इलाज क्या और कहाँ कर रहे हैं। दर्द पैर में होता है और दवाई पेट की ली जाती है।

भ्रष्टाचार दुराचार आतंकवाद आदि सब समस्याएँ नहीं वर्तमान व्यवस्था का परिणाम है यह समझने की आवश्यकता है। श्री बजरंग जी ने इसका गहनता से अध्ययन किया है कि जो दल सत्ता के इर्द गिर्द घूमता रहेगा वह अपने को मालिक समझने लगेगा। समय समय पर कानूनों के माध्यम से भी इसी धारणा को पुष्ट किया गया। यह व्यवस्था अब हमारी शोषक अंग्रेजों से भी अधिक है। इस व्यवस्था से एक वर्ग बना जो इससे लाभान्वित था। उसमें कुछ न्यायाधीश ब्यूरो कैंट्स या राजनैतिक नेता हो सकते हैं। अतः यह व्यवस्था प्रभावी लोगों को मजबूत और आम लोगों को कमजोर बनाती है। राजा से न्याय व सुरक्षा की उम्मीद की जाती है बाकी कार्य समाज का होता है लेकिन हमारी सरकार ये दोनों कार्य छोड़कर बाकी सब करती है। जन कल्याण के नाम पर जनता से पैसा बसूला जाता है और फिर जनता पर ही खर्च दिखाया जाता है। लेते और देते दोनों समय काफी पैसा हजम कर लिया जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते। अतः तंत्र को अपने आप को कुछ मुख्य कार्यों तक ही सीमित रखना चाहिये। और बाकि समाज पर छोड़ देना चाहिये। अंत में यह घोषणा करता हूँ।

गदिया जी ने आज के प्रथम सत्र के लिये एक प्रस्ताव रखा जो इस प्रकार है

प्रस्ताव

सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक माननीय ठाकुरदास जी बंग के मार्गदर्शन में लोक स्वराज्य संघ, व्यवस्था परिवर्तन मंच, ज्ञान कान्ति अभियान, व्यवस्था परिवर्तन अभियान, लोक संविधान मंथन समिति, आदि संगठन मिलकर लोक और तंत्र के संबंधों की पुनर्व्याख्या के उद्देश्य से

समाज में लोक स्वराज्य की निरंतर मूख पैदा करते रहे हैं। आदरणीय अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में प्रारंभ लोक कान्ति के समक्ष झुकते हुए तंत्र ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार नौ अप्रैल 2011 को लोक की शक्ति को महसूस किया।

ज्ञान यज्ञ परिवार आज नौ अक्टूबर को लोक कान्ति की उक्त घटना की अर्धवार्षिकी के उपलक्ष्य में अग्रसेन भवन नोएडा में प्रतीक स्वरूप दीप प्रज्वलन करके प्रस्ताव पारित करता है कि उक्त लोक कान्ति की आग निरंतर जलती रहनी चाहिये। ज्ञान यज्ञ परिवार श्री ठाकुर दास जी बंग, श्री अन्ना जी हजारे तथा उनके साथ लोक कान्ति में सक्रिय सभी साथियों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता है।

ज्ञान यज्ञ परिवार यह आश्वासन देता है कि लोक और तंत्र के संबंधों के पुनर्निर्धारण अर्थात् लोक की प्रमुखता की दिशा में सक्रिय श्री अन्ना हजारे जी की टीम सहित अन्य सभी संगठनों का हम पूरी तरह समर्थन तथा सहयोग व्यक्त करते हैं।

प्रस्ताव पर सर्व सम्मति की चर्चा हुई। भोपाल से आये कैलाश आदमी जी के विरोध के अतिरिक्त उपस्थित समूह ने हाथ उठाकर सर्व सम्मति व्यक्त की। इस तरह यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ।

दूसरा सत्र

नौ अक्टूबर को ही दूसरा सत्र बारह बजे से शुरू हुआ। अध्यक्षता श्री रामचंद्र जी दुबे गाजीपुर ने की। दूसरा सत्र रामानुजगंज क्षेत्र अंतर्गत एक सौ तीस गांवों में प्रारंभ ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान पर केन्द्रित था। व्यवस्था परिवर्तन अभियान के संयोजक श्री राकेश शुक्ल जी, अध्यक्ष रामराज गुप्त जी, सचिव रामसेवक गुप्त जी तथा मार्गदर्शक अविनाश भाई ने पूरी स्थिति पर विस्तृत प्रकाश डाला जिसका सार संक्षिप्त इस प्रकार है।

दिल्ली से लौटने के बाद बजरंग मुनि जी ने सोचना शुरू किया कि तंत्र और लोक के बीच अधिकारों के पुनर्निर्धारण की लड़ाई दो तरफ से प्रारंभ होनी चाहिये। 1. तंत्र कमजोरी करण 2. लोक सशक्तिकरण। मई दो हजार नौ में रामानुजगंज में बैठकर योजना बनी कि तंत्र कमजोरीकरण योजना पर कार्य केजरीवाल जी की टीम करगी तथा लोक सशक्तिकरण का रामानुजगंज की टीम। रामानुजगंज बैठक में अरविन्द केजरीवाल जी मनीष जी सिसोदिया रणवीर जी शर्मा कृष्ण लाल जी रूंगटा आदि ने मिलकर निर्णय किया कि एक दबाव समूह उपर से बने तथा दूसरा नीचे से बने। उपर के दबाव समूह को योजना अरविन्द जी की टीम बनाने लगी जिसका परिणाम हुआ कि आज हम यहाँ लोक नियंत्रित तंत्र की प्रथम अर्धवार्षिकी के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। नीचे की योजना बजरंग मुनि जी को बनानी थी। पच्चीस दिसम्बर दो हजार नौ को एक बड़े समारोह में यह दायित्व श्री केशव चौब जी ने स्वीकार किया किन्तु तीन चार माह बाद कुछ पारिवारिक कारणों से वे आगे नहीं कर सके। उसके कुछ माह बाद श्री राकेश शुक्ला जी अविनाश भाई रामसेवक जी, अधिवक्ता अवधेश गुप्त जी आदि ने शुरू किया। पांच बिन्दुओं को आगे करके ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान एक सौ तीस गांवों में प्रारंभ हुआ। 1. लोक और तंत्र के बीच की दूरी का घटना 2. अहिंसक समाज रचना 3. वर्ग विद्वेष को वर्ग समन्वय में बदलना 4. भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत 5. पांच वर्ष के लिये एक सौ तीस गांवों को कर मुक्त क्षेत्र घोषित करने हेतु शासन से निवेदन। इस कार्य के प्रथम चरण रूप में मुनि जी के नेतृत्व में टीम ने कुल छ बड़ी सभाएं लेकर तंत्र का सतर्क किया कि वह ग्राम सभाओं में सरकार की योजनानुसार लोक की मालिक तथा तंत्र को मैनेजर के रूप में प्रस्तुत करे। इन सभाओं में अच्छा प्रभाव पड़ा। दूसरे चरण के रूप में मुनि जी के साथ टीम ने गांव गांव जाकर प्रत्येक गांव में एक व्यक्ति का ग्राम देवता के रूप में चयन कराया। साथ ही प्रत्येक गांव में पंद्रह पंद्रह लोक पंच चुन गये। जो ग्राम सभा की बैठक में गांव वालों को आने के लिये प्रेरित करेंगे। ये लोक पंच सरकारी पंच सरपंच सचिव के भ्रष्टाचार की जानकारी गांव के लोगों को देते रहेंगे। विदित हो कि मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के कानून के अनुसार ग्राम सभा को संपूर्ण विधायी अधिकार प्राप्त है। सरकारी ग्राम पंचायत तो मात्र ग्राम सभा की कार्य पालिका है। वक्ताओं के इस कथन पर अनेक श्रोताओं ने जानना चाहा कि कानूनी रूप में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में कौन निर्णायक है? वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि ग्राम सभा को सभी अधिकार हैं और वह निर्णायक है यह स्थिति सिर्फ छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश की ही नहीं है बल्कि संभवतः पूरे भारत की है भले ही अन्य प्रदेश के लोगों में यह बात प्रचारित नहीं है। प्रश्न हुआ कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत का भ्रष्टाचार कैसे रोक सकती है तो उत्तर मिला कि ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की प्रारंभिक स्वीकृति ग्राम सभा ही देती है तथा कार्य पूरा होने के बाद अन्तिम स्वीकृति भी ग्राम सभा की होना अनिवार्य है। ग्राम सभा सभी निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन भी करती है जिसे सोशल आडिट कहा जाता है। इस तरह ग्राम सभा को निर्णायक वरीयता प्राप्त है।

वक्ताओं ने बताया कि गांव गांव में चुने गये लोक पंच हिंसा को भी निरुत्साहित करेंगे। एक तरह से यही नक्सलवाद का भी समाधान है। लोक पंच पूरा प्रयास करेंगे कि गांव में जाति धर्म लिंग गरीब अमीर आदि के वर्ग भेद घटे क्योंकि ग्राम सभा में जाति धर्म लिंग गरीब अमीर का कोई भेद अस्तित्व में नहीं रहता है। ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करे कि सरकार इन गांवों के नागरिकों से किसी भी प्रकार का टैक्स न ले। यदि व्यावहारिक कठिनाई हो तो लिये गये कर तथा होने वाले खर्च का विवरण प्रकाशित करे क्योंकि सरकार अनेक प्रकार के करों द्वारा धन तो बहुत अधिक वसूलती है और थोड़ी सी छूट देकर वाहवाही लेना चाहती है। जनता यह जाने कि सरकार कितना लेती और कितना देती है।

तीसरे चरण के रूप में दस दस गांवों के लोक पंचों की बैठक हुई जिसमें प्रत्येक गांव से एक लोक प्रमुख चुना गया तथा दस दस गांवों को मिलाकर एक क्षेत्रिय प्रमुख और एक ब्लाक कमेटी का सदस्य चुना गया। इन चुने हुए सदस्यों की एक बैठक रामानुजगंज में हुई जिसमें चर्चा उपरांत नई समिति का गठन हुआ। अब चौथे चरण के रूप में प्रत्येक गांव में जाकर लोक पंचों को प्रशिक्षण देना है। यह कार्य राकेश जी वगैरह प्रारंभ कर चुके हैं। अनुमान है कि नौ अप्रैल तक यह कार्य पूरा हो जायगा। पिछले वर्ष दिसम्बर से एक जनवरी तक के सात दिनों में देश भर के साथियों ने गांवों में घूम घूम कर सर्वे किया था। नौ अप्रैल तक करीब सोलह माह पूरे हो जायेंगे। हम चाहेगे कि नौ अप्रैल को देश भर के कुछ विद्वान इन एक सौ तीस गांवों का सर्वे करे तथा अनुमान करे कि पांच प्रयत्नों में से कितने प्रतिशत सफलता असफलता मिली है। उस अनुसार आगे की योजना बनेगी। नौ अप्रैल को आप सब तीन दिनों के लिये रामानुजगंज आमंत्रित है।

भारतीय संविधान ने ग्राम सभा सशक्तिकरण के माध्यम से नई समाज रचना का एक अदभूत मार्ग उपलब्ध कराया है। यह मार्ग पूरी तरह संवैधानिक है, सरकार सम्मत है, सभी समस्याओं का समाधान है, अथवा यू कहिये कि लोक स्वराज्य है। अन्य कोई भी मार्ग इतना सहज सरल नहीं। अन्ना जी का मार्ग भी लोक स्वराज्य सहायक है किन्तु उसमें लोक और तंत्र के बीच संवैधानिक टकराव है। किन्तु ग्राम सभा सशक्तिकरण में कहां किसी के साथ कोई टकराव नहीं है। इसलिये हमें विश्वास है कि हमारा यह प्रयत्न पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिये एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। हम एक सौ तीस गांव के परिणाम देखने के बाद नौ अप्रैल को उसमें सत्तर और गांव जोड़ने पर विचार करेंगे।

तीसरा सत्र तीन बजे से शुरू हुआ। इसका अध्यक्षता आचार्य पंकज ने की इस सत्र में बजरंग मुनि जी के चिन्तन तथा कार्य प्रणाली की स्वतंत्र समीक्षा उनके सामने करनी थी जिससे उनका उत्साह भी बढ़े और कार्य प्रणाली में भी सुधार हो। यह चर्चा स्वतंत्र होनी थी। इसलिये इसे सार्वजनिक नहीं रखा गया। प्रारंभ में रामसेवक गुप्त जी ने मुनि जी के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए कहा कि मुनि जी बचपन में कुछ ऐसी बातें कहते थे जो वहाँ के लोगों को जमाने के विपरीत लगती थी। आज धीरे धीरे वे बातें सच सिद्ध होती जा रही हैं। मुनि जी की कुछ परिभाषाएँ तो ऐसी हैं जो विश्व स्तरीय विद्वानों को चुनौती देती हैं। मुनि जी ने जीवन में कई जगह हिंसक संघर्षों में अहिंसक तरीके से जीत दर्ज की। वे उस पूरे क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से एक विश्वसनीय व्यक्ति माने जाते रहे। उन्होंने अपना सारा जीवन बहुत गरीबी में व्यक्त किया किन्तु समाज के लिये खर्च करने में पीछे नहीं रहे। वे प्रचार से दूर रहे। यही कारण है कि उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिली। पूछने पर उन्होंने स्वयं बताया कि यदि प्रसिद्धि की दिशा में प्रयत्न शुरू हुआ तो गंभीर चिन्तन प्रभावित होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुनि जी अपने जीवन काल में नये नये निष्कर्ष निकालते रहेगें और उनके बाद विश्व उन विचारों के महत्व को समझेगा।

रामसेवक जी के बाद आचार्य पंकज जी ने मुनि जी के चिन्तन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि बजरंग मुनि जी के रहते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मुनि जी त्रिवेणी हैं। विचार कर्म और त्याग की साक्षात् मूर्ति हैं। विषय के किसी कोण से एकांगी भाव से प्रतिपादन करते सम आग्रही विचार, समवेत समालोचना जो सम्पूर्ण वाग्म्य है वक्ताओं ने यहाँ उसको अदभूत रखा और हाथी की पूँछ हाथी है, हाथी का कान हाथी है, हाथी का पैर हाथी है, ऐसा दर्शाया। इतना सुलझा विचार देना सामान्य नहीं है, अतड्डिया सूख जायगी। यह सामान्य घटना नहीं है। बजरंग मुनि विचार हैं, प्रचार नहीं है, अखबार की बुलेटिन नहीं है। ज्ञान तत्व विचार है प्रचार की बुलेटिन नहीं है और इतना गम्भीर है— धर्म, दर्शन समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और पूरा का पूरा ज्ञान। देश की बड़ी बड़ी पत्रिकाओं और टाइम्स आफ इंडिया से लेकर नवभारत टाइम्स हिन्दुस्तान पैट्रियाट न कोई प्रचार है न कोई विज्ञापन है, न कोई चित्र है, ज्ञान तत्व बड़ा ही विचित्र है। विचार की ये मंजूषा आजादी के बाद कनहर के किनारे एक परिवार जो जयपुर से जाता है बड़ी शिक्षा दीक्षा नहीं है, कबीर, तुलसी, रहीम दयानंद आदि सन्तो की तन्मयता है। न जाने हजारों सभायें किसने की, हजारों बैठकें की हजारों लेखन किये हजारों लाखों पन्नों को रंग दिया। लेकिन वह सैद्धान्तिक है और उसमें जिज्ञासा हो सकती है जानने की प्रबलतम इच्छा हो सकती है आगे बढ़ने की इच्छा हो सकती है असहमति लोक तंत्र का बड़ा सुनहरा फूल है। उसमें बड़ी अच्छी सुगन्ध है असहमति रखने का मतलब यह नहीं होता कि असहमति रखनी नहीं चाहिये। मुनि जी तो अपनी सभाओं में कहते हैं कि प्रश्न करिये प्रश्न आहुत करते हैं। अपनी जिज्ञासा, उत्तरपेक्षी मस्तिष्क की मीमांसा को दुरुस्त करने के लिये अकेले व्यक्ति हैं। लोग तो प्रश्न से भागते हैं और कथावाचक तो प्रायः भाग जाते हैं। कथा सुना देते हैं। अगर आप कुछ पूछते हैं तो अनुशासन हीनता हो जायगी। कुछ सांस्कृतिक संगठन इस देश में हैं वहाँ अगर कार्यकर्ता तर्क करता है तो अनुशासन हीनता मानते हैं और संगठन से निकालने की धमकी दे देते हैं। कभी कभी तो निकाल भी देते हैं। क्या है मुनि जी के बारे में। सोचते हैं तो अजीब स्थिति है कभी धोती उपर चढ़ी है तो कभी फटी है। कहीं बड़ी उपर तो कहीं ठंडी है। शर्दी में कभी चद्दर इधर जा रही है तो कभी चप्पल उधर जा ही है। कहीं मोजे के उपर मौजा और कहीं खो गया तो दूसरों को खोजना, यह स्थिति है। और विचार के मामले में इस देश में टी वी के प्रचार पर नग्न ताण्डव होगा, पत्रकारों से कब समझौता हो जाये। ये दुरभि सन्धि। यह कैसे चलेगा इस देश में। बड़ी भीड़ हो जा रही है। चैनल आगे हैं, आन्दोलन कारी पीछे हैं। यह दृष्य हम देख रहे हैं। क्या आप कुछ ऐसे ही चाहते हैं जैसी चिन्ता व्यक्त की है। माइनों रिटीज के नाम पर अल्पसंख्यक बड़ा सक्रिय होता है। संगठित होइयें। बुद्ध ने केवल पांच आदमियों को सारनाथ में संबोधित किया था और पुरी दुनिया संबोधित हो रही है। ये अमर विचार हैं बजरंग जी के। ये वर्तमान में हमें प्रेरणा दे रहे हैं। भूत में ये शिलालेख बनेंगे इस देश के। हजारों हजार पी. एच. डी और डी लिट होगा। यह कार्य भी बजरंग मुनि कर रहे हैं। हम और आपको दिखाई नहीं देता इसलिये कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमें कहीं सत्ता का मामला टकराता है। सत्ता दो प्रकार की होती है लोकसत्ता और राजसत्ता। यहाँ चाणक्य के बड़े उदाहरण दिये जाते हैं कि चाणक्य की नीति राजतंत्र के लिये थी। अगर थो तो वह लोकसत्ता थी। राजसत्ता हमेशा उसके सामने शीर्षासन किया करती थी। आप भी तो यही चाहते हैं कि हम भी लोक सत्ता में जाकर बैठ जायें। गांधी विनोबा जयप्रकाश लोहिया आचार्य नरेन्द्र देव, अच्युतपटवर्धन, अरूना आसफ अली इनका सारा प्रयास क्या था? राजसत्ता में नहीं जाना, लोक सत्ता में रहना और राजसत्ता को अपनी लोक सत्ता के अंकुश से तानाशाही की तरफ न जाने देना और जनहित में काम कराना। शयही तो था सत्याग्रह जन आंदोलन प्रदर्शन धरना लोक तंत्र का उत्सव यही तो है। और कर क्या रहा है कोई? और जो कुछ कर रहे हैं वह नेपाल से लेकर आन्ध्र तक नक्सलवादियों का कोरीडोर है। वे भी हथियार उठाकर व्यवस्था परिवर्तन करते हैं। सिस्टम बदलना चाहते हैं। कनहर रामानुजगंज जो चारों तरफ से नक्सलवादियों से घिरा हुआ था वहाँ व्यापारियों से उगाही हो रही थी तब बजरंग मुनि ने अपनी जान की परवाह किये बिना उनका मुकाबला किया। दिल्ली आये, उसके बाद अम्बिकापुर गये, फिर वे रामानुजगंज में ही रहे, आज भी उसी क्षेत्र में हैं। आज भी प्रतिदिन कहीं सी आर पी एफ बी एस एफ या आम आदमी मारा जाता है। वे भी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। वहाँ भी विचार है। छत्तीसगढ़ की बड़ी बन्दूक छोटी बन्दूक का रोज नास्ता करती है। वह भी विचार है। उसका कितना प्रचार है। हिन्दुस्तान का कौन सा मीडिया उसे हाइलाइट करता है। लोग नाचने लगते हैं। कहाँ उनका प्रचार हो रहा है। जिस दिन माओवादी हिन्दुस्तान में सात आठ प्रान्तों में बन्दी की घोषणा करते हैं तो यहाँ की फाज भी उनकी बन्दी को नहीं रोक पाती आप क्या देख रहे हैं? चैनल देख रहे हैं। चैनल का हल्ला देख रहे हैं यहाँ बगल में देखिये सात प्रान्तों में न हल्ला है, न चैनल है, न प्रचार है, वह केवल कार्लमार्क्स और

माओत्सेतुंग का विचार है। मरने और मारने का है। मर रहे हैं और मार रहे हैं। क्योंकि सिस्टम में चैनज करना चाहते हैं। लेकिन इस पर बजरंग मुनि भी विचार कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के लिये हथियार नहीं उठा रहे हैं। नक्सली मात्र सत्ता परिवर्तन के लिये हथियार उठा रहे हैं। मुनि जी कहते हैं कि यदि व्यवस्था परिवर्तन इनका लक्ष्य होता तो मैं बनिया के घर जन्म लेकर भी सबसे पहले इनके साथ हथियार उठाता। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिये हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। कितना शुभ चिन्तन है। प्रभावित है लोग। अहिंसक तरीके से वैचारिक परिवर्तन। बजरंग जी ने कहा कि यदि मैं नक्सलवादी हो जाऊ तो दो तीन तरह के लोगों को हथियार नहीं दूंगा। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमायते इस्लामी का नाम लिया। मैंने लम्बा राजनैतिक जीवन झेला है, अनेक बड़े लोगों के साथ काम किया है वाराणसी से लोक सभा का चुनाव भी लड़ा है लेकिन बजरंग मुनि और प्रमोद वात्सल्य जी के निकट आकर लोक सत्ता के जीवन में जो शान्ति मिली है उसके फल: स्वरूप में अब उधर झांक भी नहीं सकता। अब कोई महत्वाकांक्षा भी उस तरह की नहीं बची। हमें ये भी नहीं है कि इस प्रकार का हल्ला कर दिया जाये कि सरकार से समझौते का रास्ता खोज जाये। इस प्रकार क्षणिक आंदोलन की विभीषिका के प्रहार से वंचित होना चाहते हैं। ये बजरंग जी का रास्ता है। इसलिये हमें उस तरह की कोई छटपटाहट नहीं है। यह विचार है ज्ञान तत्व विचार मंथन और ज्ञान यज्ञ है यह विचार पाकर आप भी परिपक्व हो जाये। आपका भी कानसप्ट किलयर हो जाये। हमें तो ज्ञान तत्व से प्रकाश मिलता है। ज्ञान तत्व की पतीक्षा करते रहते हैं। यदि किसी कारण वश नहीं मिलता तो पता करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जिससे भी मिलता हूँ पूछता हूँ कि ज्ञान तत्व मिला या नहीं।

सामाजिक जीवन में जो लोग विचार की दृष्टि से जीना चाहते हैं राजनैतिक महत्वाकांक्षा से दूर रहना चाहते हैं, उनके लिये यह रामबाण है। वात्सल्य जी भी मेरी इस बात से सहमत हैं कि रामानुजगंज या अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ की धरती पर इतना बड़ा वैचारिक काम है कि उसके लिये एक शाध केन्द्र होना चाहिये और वहाँ पर छात्रों को स्कालरशिप के साथ पी एच डी और डी लिट करने का अवसर मिले तो जो शोध होगा उससे जो भावी भारत बनेगा वह बजरंगमुनि के ज्ञान तत्व की दिशा का होगा। वहाँ न साम्प्रदायिकता होगी न दंगा होगा और न कोई दूसरी समस्या होगी। एक दम स्पष्ट समाजशास्त्रोप चेतना होगी जिसके आधार पर भावी भारत चलेगा। इस सारे कार्य और आयोजनों पर होने वाले खर्च के विषय में कितने कष्ट उठाकर उधार पैसे लेकर इसकी पूर्ति की जाती है। वानप्रस्थ लेते समय अपनी सम्पत्ति का विभाजन करते समय अपने नौकर और ड्राइवर तक को भी नहीं भूले। उन्हें भी उचित पारितोषिक दिया। सारी विषम परिस्थितियों के बाद भी मुनि जी समाज सेवा के इस कार्य को अबाध गति से चला रहे हैं इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

अंत में मुनि जी ने संक्षिप्त उत्तर में कहा कि मैं नहीं सोचता कि आप जैसा सोचते हैं वैसा मैं हूँ किन्तु मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सब मुझे जैसा देखना चाहते हैं, मैं वैसा बनूँ। मैं आपको आश्चर्य करता हूँ कि मैं वैसा बनने का हर संभव प्रयास करूँगा।

मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे लिखने से प्रायः अपने लोगों को कष्ट होता है। उनकी भावनाओं को चोट लगती है। मैं ऐसे विचारों को जान बूझकर उठाता हूँ कि विचार मंथन होना चाहिये। मंथन के लिये घर्षण अनिवार्य है। मंथन के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वही सत्य होता है। संभव है कि मंथन काल में आपकी सोच बदले। यह भी संभव है कि मंथन से मुझे ही पता चले कि मेरा सोच अपूर्ण है या गलत है। आचार्य जी ने नक्सलवाद का जिक्र किया। मैं प्रारंभ में अहिंसक नक्सलवादी था। मध्य प्रदेश सरकार ने सन छियान्नवे में मुझे मध्यप्रदेश का पहला नक्सलवादी घोषित करके मेरे परिवार मेरे मित्रों तक को जेलों में डाल दिया था। सारा व्यापार, जमीन सब जप्त। हाई कोर्ट में सरकार नहीं टिक सकी क्योंकि अहिंसक नक्सलवाद कोई अपराध नहीं है। पांच सात वर्ष बाद जब हमारे शहर के आसपास के गांवों में नक्सलवाद आया। उनकी सरकार बनने लगी तब मेरी धारणा बदली कि नक्सलवाद किसी भी रूप में व्यवस्था परिवर्तन न होकर सत्ता संघर्ष है। मैं पूर्व में राजा राममोहन राय के सती प्रथा विरोधी अभियान का आलोचक था। दो वर्ष पूर्व आचार्य जी ने मुझे श्यथार्थ बताया और मैंने सुधार किया। मैंने दो हजार नौ के चुनाव के ठीक पहले ज्ञान तत्व एक सौ छिहत्तर में वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास प्रकट किया था। चुनाव बाद तत्काल ही अंक एक सौ अठहत्तर में क्षमा मांगते हुए लिखा कि चुनावों के बाद भारत की जनता ने जो राजनीति की नई तस्वीर उकेरी है उसमें आशा की एक स्पष्ट झलक दिखती है अतः मैं अपने एक सौ छिहत्तर अंक के लेख को वापस लेता हूँ। पिछले दो वर्षों में मेरे सभी साथी मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री कहकर उनकी आलोचना करते रहे किन्तु मैं अकेला ही मनमोहन सिंह की कमजोरी को गुण मानते हुए चट्टान की तरह खड़ा रहा और आज तक खड़ा हूँ। आचार्य पंकज जी भी कई बातों पर मुझसे नाराज हो जाते हैं। किन्तु मैं सैद्धान्तिक विचार मंथन में उनके साथ पूरा तर्क वितर्क करता हूँ। यदि नाराज भी हुए तो कभी मैं कभी वे एक दूसरे को मना लेते हैं। मैं इस प्रकार के विचार मंथन को अवगुण नहीं मानता।

मेरी हार्दिक इच्छा है कि ज्ञान तत्व को विचार मंथन का केन्द्र बनाये रखा जाव। मैंने अपने जीवन के सर्वोत्तम समय की आहुति इसमें दी है। जो साथी इससे भिन्न भी कुछ और दिशा में कार्य करना चाहते हैं वे करें मुझे खुशी ही हागी किन्तु मेरा उनसे निवेदन है कि वे मुझे अपनी सक्रियता में घसीट कर स्वतंत्र विचार मंथन को नुकसान न कर। मैं तो सुषेण वैद्य तक सीमित हूँ। अनुसंधान द्वारा लक्ष्मण को जीवित करने की दवा बताने तक सीमित हूँ। यदि आप दवा न ला सके तो वैद्य का दोष नहीं।

अंत में मेरा आपको यह आश्वासन है कि मैं आपकी अपेक्षा अनुसार आगे चलने का हर संभव प्रयास करूँगा।

चौथा सत्र

नौ अक्टूबर को चौथे सत्र में लोक संसद संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अध्यक्षता करते हुई बजरंग मुनि जी ने प्रारंभिक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण विश्व में लोक और तंत्र के बीच संबंधों के पुनर्निर्धारण की लगातार आवाजे उठ रही हैं। साम्यवाद का पतन उसका एक उदाहरण है। इस्लामिक देशों में भी ऐसी ही हलचल दिखाई दे रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में यद्यपि लोकतंत्र है किन्तु वह भी लोक नियंत्रित न होकर लोक नियुक्त पर आकर सिमट गया है। तंत्र ने नाम तो लोकतंत्र दे रखा है किन्तु तंत्र ने अपने पास कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका के सभी अधिकार समेट रखे हैं। सेना, पुलिस, से लेकर अर्थव्यवस्था तक पर उसका पूरा पूरा नियंत्रण है। आश्चर्य तो तब होता है जब हमारे देश की संसद स्वयं को सर्वोच्च कहने लगी है। उसका कहने का आशय क्या है यह तो वही जाने किन्तु उसके कथन में एक दंभ भरी कुटिलता है यह स्पष्ट है। प्रश्न उठता है कि क्या संसद संविधान से भी उपर है? क्या संसद समाज से भी उपर है? यदि नहीं तो सर्वोच्च कहने का उसका आशय क्या है? सर्वोच्च तो समाज भी नहीं है

क्योंकि समाज भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकता। व्यक्ति और समाज की पृथक पृथक सीमाएँ हैं। संविधान समाज के नीचे है और संसद संविधान के अंतर्गत कार्य करने वाली न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका में सिर्फ एक भाग। संसद सर्वोच्च कहने की आवश्यकता तंत्र को इसलिये हुई कि अन्ना जी के नेतृत्व में नागरिकों की एक भीड़ ने जन संसद को वर्तमान संसद से भी उपर बताना शुरू कर दिया जो सुनना वर्तमान राजनेताओं को जरा भी पसंद नहीं है और न उन्होंने यह शब्द सुना है। वर्तमान राजनेताओं को इतनी गलत बात कहने की हिम्मत इसलिये हुई कि वर्तमान संसद के पास विधायिका के संपूर्ण अधिकार तो हैं ही कार्यपालिका पर नियंत्रण के भी अधिकार हैं। यहाँ तक वर्तमान संसद के पास संविधान संशोधन तक के अधिकार प्राप्त हैं। इतने अधिकारों के बाद यदि संसद बौरा जावे तो कोई अस्वाभाविक बात नहीं।

अन्ना जी ने लोकतंत्र की परिभाषा बदलने की पूरी पूरी कोशिश की और वे सफल भी होते दिखे किन्तु वर्तमान राजनीति ने अन्ना जी को भ्रष्टाचार से लड़ाई तक सीमित कर दिया है। अब वे लोकपाल के चक्रव्यूह में ऐसे घिर गये हैं कि उससे बाहर निकल कर लोक स्वराज्य का संघर्ष शुरू करने का मार्ग नहीं सूझ रहा। वे जिस जन संसद की बात कर रहे हैं वह तो समाज का ही दूसरा नाम है न कि कोई भौतिक इकाई जो मूर्त रूप में हो। वर्तमान राजनेताओं के पास यह भी एक मजबूत तर्क है कि हम तो किसी संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत चुने हुए लोग हैं किन्तु आपको किसने चुना? टीम अन्ना घूम फिरकर कई बार कह देती है कि अच्छे लोगों को चुनिये। यह बिल्कुल गलत तर्क है। पहल व्यवस्था ठीक होगी तब अच्छे लोगों को चुनने का आह्वान करेंगे। इन सब स्थितियों में सोचा गया कि एक लोक संसद बने जिसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो यह लोक संसद भी उसी प्रकार निर्वाचित हो जिस प्रकार वर्तमान संसद। लोक संसद वर्तमान संसद के समानान्तर न होकर दोनों एक दूसरे की सहयोगी होंगी। वर्तमान संसद के पास कार्य ज्यादा होने से वह अपना कार्य पूरा नहीं कर पाती। उसका कुछ बोझ कम करके लोक संसद को दे देने से उसकी अपनी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी और गुणवत्ता भी। इस तरह लोक संसद वर्तमान संसद की सहायक होगी। दूसरी ओर सारे संवैधानिक दायित्व सिमट जाने से उसके कार्यान्वयन के अधिकार भी संसद के पास इकट्ठे हो जाते हैं। इतने सारे अधिकार इकट्ठे होने से संसद अनियंत्रित भी हो जाती है लोक संसद ऐसी हालत में उसकी नियंत्रक भी होगी।

लोक संसद का कार्य इस प्रकार प्रस्तावित है।

प्रस्ताव

(1) वर्तमान लोकसभा के समकक्ष एक लोकसंसद हो। लोकसंसद की सदस्य संख्या, चुनाव प्रणाली तथा समय सीमा वर्तमान लोक सभा के समान हो। चुनाव भी लोकसभा के साथ हो किन्तु चुनाव दलीय आधार पर न होकर निर्दलीय आधार पर हो।

(2) लोक संसद के निम्न कार्य होंगे

(क) लोकपाल समिति का चुनाव

(ख) संसद द्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधन पर निर्णय

(ग) सांसद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मंत्री या राष्ट्रपति के वेतन भत्ते संबंधी प्रस्ताव पर विचार और निर्णय

(घ) किसी सांसद के विरुद्ध उसके निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सरपंचों के बहुमत से प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव पर विचार और निर्णय

(च) लोकपाल समिति के भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत का निर्णय

(छ) व्यक्ति, परिवार ग्राम सभा, जिला सभा, प्रदेश, सरकार तथा केन्द्र सरकार के आपसी संबंधों पर विचार और निर्णय

(ज) अन्य संवैधानिक इकाइयों के बीच किसी प्रकार के आपसी टकराव के न निपटने की स्थिति में विचार और निर्णय

(3) लोक सांसद को कोई वेतन भत्ता नहीं होगा। बैठक के समय भत्ता प्राप्त होगा।

(4) लोक संसद का कोई कार्यालय या स्टाफ नहीं होगा। लोकपाल समिति का कार्यालय तथा स्टाफ ही पर्याप्त रहेगा।

(5) यदि किसी प्रस्ताव पर लोकसंसद तथा लोक सभा के बीच अंतिम रूप से टकराव होता है तो उसका निर्णय जनमत संग्रह से होगा।

इस तरह वर्तमान संसद को संविधान संशोधन के भी अधिकार हे तथा कार्यपालिका के भी। ऐसी स्थिति समाप्त हो सकेगी। वर्तमान संसद के वर्तमान सभी दायित्व तथा अधिकार उसी प्रकार होंगे जैसे अभी हैं। सिर्फ एक ही अंतर आयगा कि उसके संविधान संशोधन तथा अपने वेतन निर्धारण संबंधी प्रस्ताव में लोक संसद की सहभागिता आवश्यक होगी।

इस प्रस्ताव में बड़ी संख्या में विद्वानों ने अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने प्रस्ताव के प्रति सहमति व्यक्त की। राइट टू रिकाल संबंधी प्रश्न के उत्तर में मुनि जी ने बताया कि राइट टू रिकाल का प्रावधान आवश्यक है यह हमारा प्रस्ताव है। तरीका भिन्न भी हो सकता है। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद यह प्रश्न उठा कि प्रस्ताव लागू कैसे होगा? मुनि जी ने बताया कि ज्ञान क्रान्ति परिवार इस प्रस्ताव को जनमत में प्रचारित करेगा। हम चाहेंगे कि टीम अन्ना नहीं बढ़ती तब भी यह प्रस्ताव जनमत जागृत करेगा। और तब संभव है कि कोई अन्य टीम सामने आकर यह विषय उठा ले। उत्तर के बाद प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ।

10/10/11 पहला सत्र संगठन

सत्र नौ बजे प्रारंभ हुआ। अध्यक्षता वर्तमान अध्यक्ष रामकृष्ण जी पौराणिक ने की।

मुनि जी ने चर्चा प्रारंभ करते हुए बताया कि हमारा मुख्य कार्य है ज्ञान क्रान्ति तथा सहायक कार्य है लोक स्वराज्य आंदोलन। दोनों की भूमिकाएँ तथा सीमाएँ अलग अलग हैं। ज्ञान क्रान्ति अभियान विचार मंथन तक सीमित है। अन्य कोई कार्य इसके जिम्मे में नहीं है। किन्तु लोक स्वराज्य के लिये काम कर रहे अनेक संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ साथियों का सुझाव है कि ज्ञान यज्ञ परिवार का नाम बदलकर ज्ञान क्रान्ति परिवार कर देना चाहिये। काफी चर्चा के बाद सर्व सम्मति से इसका निर्णय पौराणिक जी पर छोड़ दिया गया। उन्होंने अन्य साथियों की सलाह से ज्ञान क्रान्ति परिवार नाम रखने की घोषणा की।

चर्चा में बताया गया कि रामानुजगंज विकास खंड में कार्यरत ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान ज्ञान क्रान्ति परिवार ट्रस्ट लोक संविधान सभा तथा व्यवस्था परिवार अभियान इस परिवार के पारिवारिक सदस्य होंगे। व्यवस्था परिवर्तन मंच तथा लोक स्वराज्य संघ के साथ ज्ञान क्रान्ति अभियान के मित्रवत संबंध रहेंगे। लोक स्वराज्य संघ के अंदर ही डा0 इश्वर दयाल क नेतृत्व में पांच लोगों ने मिलकर

एक पृथक गुट बना लिया है और आपसी टकराव है इसलिये हम इस विवाद से पृथक होते हुए भी लोक स्वराज्य संघ के वर्तमान अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जी आर्य का समर्थन करते हैं। मुनि जी से पूछा गया कि यह विवाद क्यों है तो मुनि जी ने बताया कि दिल्ली निवास छोड़ने के बाद उनके पास तो कोई पैसा रहा नहीं और कुछ साथियों की स्वतंत्र खर्च करने की आदत है इसलिये मेरी भी मजबूरी है। कि मैं सबको संतुष्ट नहीं कर सकता।

चर्चा के बाद नई कार्य समिति का गठन हुआ।

संरक्षक –बजरंग मुनि बनारस चौक अम्बिकापुर 09617079344

अध्यक्ष— रामकृष्ण पौराणिक उज्जैन म0 प्र0—456010

उपाध्यक्ष

1. कृष्ण लाल रूंगटा, धनबाद, झारखण्ड
2. अशोक त्रिपाठी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
3. श्रुतिवन्तु दुबे, सीधी, मध्यप्रदेश
4. श्री जी.पी. गुप्ता, छत्तरपुर, मध्यप्रदेश
5. छबील सिंहसिसोदिया, गाजियाबाद, उ0 प्र0
6. सिद्धार्थ शर्मा, बैंगलोर, कर्नाटक
7. जयेन्द्र रमण शाह, अहमदाबाद गुजरात
8. पंकज अग्रवाल अ0पुर
9. ध्रुव सत्य अग्रवाल जयपुर
10. सुरेश जी, दिल्ली
11. विजय शंकर शुक्ल देहरादून उत्तराखण्ड
- 12—सदा विजय आर्य, महाराष्ट्र
13. इस्लाम अहमद फारूकी काशीरामनगर यूपी
14. वैध राज आहुजा कांकरछ0ग0
- 15 बलवंत जी यादव शिमला

महासचिव अभ्युदय द्विवेदी जी म.प्र 09302811720

संगठन सचिव नरेद्र सिंह बुलंदशहर यूपी.

प्रधान कार्यालय बनारस चौक अम्बिकापुर सरगुजा 09617079344

कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों का चयन अध्यक्ष महोदय संरक्षक जी की सलाह लेकर कर लेंगे।

मुनि जी ने स्पष्ट किया कि ज्ञान तत्व एक बिल्कुल स्वतंत्र पाक्षिक है। उसका पूर्वार्ध मेरे स्वतंत्र लेखन के लिये सुरक्षित है। उत्तरार्ध ज्ञान क्रान्ति परिवार तथा अन्य सहायक संगठन के लिये है। मैं पूर्वार्ध में ज्ञान क्रान्ति की भी आलोचना करने के लिये स्वतंत्र हूँ। मुझे अपनी सीमाओं का भी भान है।

मेरा स्पष्ट है कि मेरे विचारों पर आप प्रश्न करने की आदत डालें। दूसरों से भी प्रश्न करावें। आचार्य जी प्रश्न करते रहते हैं तो श्खुशी होती है। यदि कहीं मेरे विचारों का विरोध होता आप उनसे ज्यादा उलझने के अपेक्षा उन्हें प्रश्न हेतु प्रेरित करिये। किन्तु यदि कोई साथी मेरे विचारों के प्रति प्रश्न न करके अपना विरोध दर्ज कराना चाहता है तो विरोध उत्तरार्ध में सूचनार्थ प्रकाशित किया जा सकता है जिसका कोई उत्तर देना संभव नहीं।

ज्ञान तत्व वर्तमान में विचार मंथन की रीढ़ है। आप प्रयत्न करिये कि अधिक से अधिक नये केन्द्र खुले। वर्तमान में ज्ञान तत्व की पाठक संख्या छ हजार है। इसे दिसम्बर तक दस हजार तक ले जाने का लक्ष्य है। आप नये नाम भी भेजे और नये केन्द्र भी बनावे हमारी लागत वार्षिक सौ रूपया आती है। किन्तु शुल्क स्वैच्छिक है।

अब वानप्रस्थ के बाद न तो मेरे पास खर्च करने के लिये कुछ शेष है न ही मुझे किसी से मांगने की जरूरत पडती है। सब कुछ समाज की ओर से व्यवस्था है। तीन प्रकार के लोग सहायक हैं। (1) एक सौ रूपया वार्षिक देने वाले सहायक दाता, (2) एक हजार रूपया वार्षिक देने वाले संरक्षक दाता (3) दस हजार रूपया वार्षिक देने वाले ट्रस्टी दाता। एक सौ रूपया वार्षिक एक हजार रूपया वार्षिक अथवा दान के रूप में प्राप्त विशेष धन तो ज्ञान तत्व की व्यवस्था में खर्च होता है। ट्रस्ट को प्राप्त धन ट्रस्ट की देख रेख में खर्च होता है। वर्तमान में ट्रस्ट के पास पचीस लाख रूपये का स्थायी कोष है। इसके अतिरिक्त छ दाता सदस्य हैं। कुल आय पचीस लाख का व्याज तथा दाता धन मिलाकर साढ़े तीन से चार लाख तक होता है। यह राशि पहले तो मेरी देख रेख में खर्च होती थी। किन्तु अब नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरा खर्च कार्यालय की व्यवस्था के अंतर्गत होगा। श्री नंद कुमार जी अग्रवाल कोषाध्यक्ष श्री राकेश जी शुक्ल तथा श्री रामकृष्ण जी पौराणिक ट्रस्ट की नई व्यवस्था होते तक इसके खर्च की व्यवस्था देखेंगे। इसके खर्च का कोई हिसाब किताब या आडिट नहीं होगा। तीन लोग मिलकर जो करेंगे वह अन्तिम होगा। आवश्यकता अनुसार तीन की टोम कहीं गुप्त रूप से भी खर्च कर सकती है। इनतीन सदस्यों को कभी भी बदला तो जा सकता है किन्तु प्रश्न खडा नहीं हो सकता। मूलधन पचीस लाख रूपये यह टीम खर्च नहीं कर सकती। ज्ञान क्रान्ति परिवार के सदस्यों से निवेदन है कि वह अधिक से अधिक सदस्य बनने हेतु प्रेरित करें। इस चर्चा के अंतर्गत मुनि जी ने दो घोषणाएँ की। (1) श्री ठाकुर दास जी बंग ट्रस्ट के महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं। उन्हें ट्रस्ट में सर्वाधिक पांच मत

देने तक का अधिकार है। व अब ज्यादा वृद्ध और अस्वस्थ है। अब उनका स्थान पर अविनाश भाई ट्रस्ट क सदस्य होंगे जिन्हें पांच मत देने का अधिकार होगा।

दूसरी घोषणा मुनि जी ने यह की कि पिछले बीस वर्षों से ठाकुर दास जी बंग को मेरे उपर वीटो का अधिकार प्राप्त श्था मले ही उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया अथवा वैसी स्थिति नहीं आई। अब बंग जी की जगह पर वही वीटो का अधिकार अविनाश भाई को होगा। किसी भी वीटो के विरुद्ध अपील ट्रस्ट में ही संभव है जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

तीसरा निवेदन मुनि जी ने किया कि ट्रस्ट का एक संविधान भी बनना चाहिये। अगली बार इस पर चर्चा होनी चाहिये।

10/10 दूसरा सत्र यात्रा

बारह बजे से यह सत्र शुरू हुआ। स्पष्ट किया गया कि यह यात्रा बजरंग मुनि जी की यात्रा है। यात्रा में आचार्य पंकज जी तथा महासचिव अभ्युदय द्विवेदी जी तो पूरे समय रहेंगे ही। अन्य साथी भी सुविधानुसार रह सकते हैं। गाडी एक रहेगी। पूरी यात्रा के संचालक नरेन्द्र सिंह जी हैं। यह यात्रा विचार प्रचार यात्रा न होकर संपर्क यात्रा के रूप में है। कुल पचहत्तर स्थानों पर बैठक की योजना है।

इस यात्रा में जहाँ के केन्द्र प्रभारी जिस बैनर तले आयोजन करेंगे वह उनकी स्वतंत्रता होगी। चर्चा के विषय भी उस तरह होंगे। ज्ञान कान्ति परिवार के बैनर तले जहाँ चर्चा होगी उसका मुख्य विषय होगा "समाज की वर्तमान समस्याएँ और समाधान"। आचार्य जी तथा मुनि जी मुख्य वक्ता होंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर अवश्य होगा। बाहर के लोग वक्ता न होकर प्रश्न करें। प्रश्नोत्तर के बाद मुनि जी का संक्षिप्त समापन संदेश होगा।

10/10 तीसरा सत्र अन्य संगठन चर्चा

इस सत्र की अध्यक्षता दुर्गा प्रसाद जी आर्य ने की। सबसे पहले आचार्य पंकज जी ने व्यवस्था परिवर्तन मंच की सक्रियता तथा योजना पर विस्तृत चर्चा की। छबील सिंह जी सिसोदिया ने भी इस चर्चा में भाग लिया। छबील सिंह जी ने जीवन भक्ता योजना की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा कि व्यवस्था परिवर्तन मंच मतदाताओं की जगह पर जन्म से ही भक्ता की मांग करता है क्योंकि बच्चे को बालिग की अपेक्षा अधिक सहायता की जरूरत होती है। व्यवस्था परिवर्तन मंच बालक वृद्ध औरत मर्द का कोई भेद नहीं करके प्रत्येक व्यक्ति को समान भक्ता देने की मांग करता है। इससे भ्रष्टाचार भी नहीं बढ़ेगा। इस तरह सब प्रकार की आर्थिक समस्याएँ इससे सुलझ सकती हैं।

संविधान मंथन सभा के संयोजक रामबहादुर राय जी ने संविधान पर विस्तृत विचार रखे। उन्होंने कहा कि आचार्य पंकज जी तो पैदाइशी डिक्टेटर हैं। बजरंग मुनि भी एक डिक्टेटर हैं। लेकिन बड़ा कार्य भी वही करता है जो डिक्टेटर होता है। देश की आजादी की जो लड़ाई लड़ी गयी थी वह गाँधी जी की डिक्टेटर शिप में लड़ी गयी थी। जब गाँधी और इरविन की वार्ता विफल हो गयी, बल्कि विफल कर दी गयी और सेकेन्ड राउन्ड टेविल कान्फ्रेंस लन्दन में बुलाई गयी उससे पहले 1931 में कराँची में कांग्रेस की भी मिटिंग हुयी उसमें गाँधी जी ने पूरी वर्किंग कमेटी से यह कहा कि कांग्रेस के एक व्यक्ति को सेकेन्ड राउन्ड टेविल कान्फ्रेंस में भेजा जाये आर वह व्यक्ति दूसरा कोई नहीं महात्मा गाँधी होगा, और यही हुआ। मैंने जा मुनि जी को डिक्टेटर कहा तो उनकी डिक्टेटर शिप से जो लोग पीड़ित हों वे दूसरा कोई अर्थ लें तो वह उनकी मर्जी। जहाँ तक संविधान सभा के विषय में वार्ता की बात है तो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग सोचते होंगे कि इस समय जब अन्ना की आँधी चल रही है तब ऐसे समय में संविधान सभा की बात करना प्रासंगिक होगा या नहीं। ये सवाल सबके सामने है। अभी तीन चार संकल्पवान लोगों ने एक मिटिंग बुलाई, उसमें मुझे भी रहना था इसलिए मैं इस सभा में समय पर नहीं आ सका। यदि मैं उस बैठक में न होता तो एक नयी राजनैतिक पार्टी का जन्म हो गया होता। मैंने उसे रोका। इस मिटिंग में आरिफमोहम्मद खान, डा0 वेद प्रताप वैदिक, कुछ रिटायर्ड आई. ए. एस. आफिसर्स व कुछ आई. पी. एस. आफिसर्स भी थे। वहाँ सुधारों पर बड़ी बात हुयी। मेरी बारी आई तो मैंने कहा—यदि सुधारों की बात ही करनी है तो केवल एक ही बात करो और वह है संविधान सुधार की बात। आप भी जानते होंगे कि आरिफ मोहम्मद खान नागरिक और अल्पसंख्यक की चर्चा बहुत करते हैं। संविधान में सिर्फ एक जगह 29वाँ, 30वाँ अनुच्छेद जब शिक्षा में समानता की बात करता है तब अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के लिए उसमें केवल एक जगह अल्पसंख्यकों का जिक्र आया है। वरना पूरे संविधान में नागरिक का ही जिक्र है। मैंने उनके सामने कुछ और तथ्य भी रखे। देखिये नौ जुलाई 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुयी और 25 या 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा का कार्य पूरा हो गया और संविधान इस देश को और नागरिकों को अर्पित हो जाता है। जो संविधान इस दौरान बना सार रूप में वह क्या है? सुभाष कश्यप के अनुसार, गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया एक्ट 1935 के संविधान की हूँ ब हूँ बिना कोई भाग बदले हुए नकल है। सुभाष कश्यप जिन्होंने लम्बे समय तक संविधान को कार्य करते देखा है अभी भी देख रहे हैं। उनकी स्टडी पर यूनिवर्सल लाज ने एक किताब छापी है जिसके अनुसार उसमें बायी ओर गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया एक्ट 1935 के क्लाज है और दायी ओर 1950 के भारतीय संविधान के क्लाज हैं। दोनों की तुलना छापी है। निष्कर्ष यह है कि 1935 के संविधान की मात्रा भी न बदलते हुए उसे ज्यों का त्यों बना दिया गया है। हिन्दी में अनुवाद बाद में हुआ। यह अलग बात है कि अनुवाद कितना सही है कितना गलत। इस आधार पर मेरा भी यही मानना है कि यह 1935 के एक्ट की लगभग 85 प्रतिशत हूँ ब हूँ नकल है। इस एक्ट के बारे में गाँधी जी का, कांग्रेस का और कांग्रेस के उस समय के सदर का क्या कहना है? उस समय असेम्बलियों के चुनाव होने जा रहे थे। इन चुनावों से पहले कांग्रेस में जो मंथन हुआ है उसके अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने इस देश से वायदा करते हुए कहा कि हम असेम्बलियों के चुनाव में इसलिए जा रहे हैं कि अन्दर जाकर गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया एक्ट को ध्वस्त कर सकें। हम इस एक्ट को नहीं मानते। यह गुलामी का दस्तावेज है। गाँधी जी ने भी कहा कि यह गुलामी का दस्तावेज है क्योंकि यह हिन्दुस्तान के लोगों की निर्वाचित संविधान सभा से बना हुआ कानून नहीं है। कांग्रेस की 1937 की फैजपुर कांग्रेस यह महाराष्ट्र का एक गाँव था जिसमें झोपड़ियों में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसमें कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद थे। उस फैजपुर कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि हम इस कानून को नकारते हैं।

आज जब हम इस विषय पर कोई बात करते हैं तो एक प्रश्न हम सबके सामने आता है। मेरे सामने भी आता है। मुनि जी के सामने भी आता होगा कि इस देश में जो दलित है उन्होंने गलत ही सही, मन में एक बात बैठा ली है कि इस संविधान को भीम राव

अम्बेडकर ने बनाया है और जो लोग इसे नकार रहे हैं वे सब भीम राव अम्बेडकर को नापसन्द करते हैं। इसलिए इसे नकारते हैं। इस तथ्य को हम लोग और बारीकी से समझे। अम्बेडकर ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि मैंने यह संविधान बनाया। इसके विपरीत अम्बेडकर ने 1952 या 53 में राज्य सभा में कहा कि इस संविधान को आग लगाने की जिस दिन जरूरत पड़ेगी, मैं पहला व्यक्ति रहूँगा जो इसे आग लगाऊँगा। यह राज्य सभा की कार्यवाही का हिस्सा है। एक बात और समझने की है कि भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और मेरे अध्ययनानुसार सदस्य भी थे। बाको तेरह नाम और भी थे। वे सब बड़े-बड़े नाम थे। यदि हम उन सबका रोजनामचा देखें जो संविधान सभा की प्रोसिडिंग का पार्ट भी है तो मालूम होगा कि ये सब लोग अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रहे थे। उन्होंने देख लिया था कि संविधान वगैरा तो बन ही जायेगा। हमें पहले चुनाव जीतने की चिन्ता करनी चाहिये जिसके बल पर अगली लोकसभा में आना है। उसी समय माउन्ट बैटन ने अपनी पत्नी लेडी माउन्ट बैटन की कैद में रखकर बी. एन. राव से जैसा चाहा वैसा संविधान बनवाया। संविधान सभा की जो प्रोसिडिंग है उसकी बिटविन दी लाइन्स आप पढ़ेंगे तो सब पता चल जायेगा। आज जो परिस्थिति है उसमें हमें नयी संविधान सभा की बात करनी चाहिये।

राम बहादुर राय जी ने यह भी बताया कि निकट भविष्य में गाडिया जी मुनि जी, कश्यप जी आदि के साथ बैठक संविधान पर विस्तृत विचार मंथन की योजना बनेगी।

अन्त में लोक स्वराज्य संघ के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि रामानुजगंज में ग्राम सभा सशक्तिकरण का प्रयोग बहुत सफल है। लोक स्वराज्य संघ पूरी ताकत से इसकी सफलता में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त श्री ओमप्रकाश दुबे आदि की टीम भी हरियाणा के पलवल जिले में देवली मोड़ के पास के एक गांव वामनी खेड़ा में लोक स्वराज्य का प्रयोग कर रही है। यह प्रयोग भी उत्साह वर्धक है। इसी प्रकार और साथी भी कुछ कुछ गांवों में प्रयोग करें तो व्यवस्था परिवर्तन कोई असंभव कार्य नहीं है।

इस सत्र में अविनाश भाई ने एक बहुत ही प्रेरणास्पद भाषण दिया। पैंतालीस मिनट का वह भाषण बहुत ही ज्ञान वर्धक था। उसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण था। दुर्भाग्य से वह भाषण लिखा नहीं जा सका। हम फिर से उनसे चर्चा करके जानने की कोशिश करेंगे।

11/10 को पहला सत्र जयप्रकाश जी की याद में

यह सत्र जय प्रकाश जी की याद को समर्पित था। अविनाश भाई, तथा अन्य अनेक विद्वानों ने इस संबंध में अपने विचार रखे जो लिखे नहीं जा सके।

समापन सत्र

दोपहर एक बजे से समापन सत्र शुरू हुआ। इस सत्र में बाहर से आये हुए विद्वानों ने एक एक करके अपने संक्षिप्त विचार रखे। अन्त में मुनि जी ने समापन भाषण के रूप में कहा कि सन् 2007 में हम कुछ लोग लोक स्वराज्य के विषय पर आंदोलन की योजना हेतु सेवा ग्राम में बैठे थे। बंग साहब का सुझाव आया कि हम शराब बेचेंगे। सरकार शराब क्यों बेचती है? वह इससे पैसा क्यों कमा रही है? सरकार शराब बेचना बन्द कर देगी तो हम भी बन्द कर देंगे। तब तक हम शराब को लागत मूल्य पर बेचेंगे। ऐसी स्थिति में हमारी शराब बिक जायेगी और उनकी पड़ी रहेगी। बंग साहब के सुझाव पर आन्दोलन की सहमति बनी। बाद में गाँधीवादियों ने पत्र लिख- लिख कर शराब बिकी का विरोध किया। वे इसकी मूल भावना का नहीं समझ सके। बंग जी का सुझाव शराब को प्रात्साहित करने के लिए नहीं था। बल्कि तंत्र को कमजोर करके लोक को सशक्त करने का आन्दोलन मात्र था। फिर भी नासमझ गाँधी भक्तों के विरोध को देखते हुए इस सुझाव को छोड़ दिया गया। फिर यह निर्णय हुआ कि मनमानी वेतन वृद्धि के संसद के असीमित अधिकारों के विरुद्ध आन्दोलन होना चाहिये। तीस जनवरी को राष्ट्रपति से मिलकर विरोध प्रकट करना था और उसी दिन जन्तर-मन्तर से अमरनाथ भाई के नेतृत्व में आन्दोलन की घोषणा होनी थी। अमरनाथ भाई व देशभर के लगभग पाँच सौ लोग वहाँ आ चुके थे। तभी एक फोन अमरनाथ भाई जी के पास आया और उन्होंने राष्ट्रपति जी के पास जाने से इन्कार कर दिया। हम लोगों ने राष्ट्रपति जी से वार्ता की और उन्होंने वेतन वृद्धि को अनुचित होना स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वे कानूनी तौर पर वेतन वृद्धि को इन्कार नहीं कर सकती किन्तु व्यक्तिगत तौर पर बड़े हुए वेतन का धन शिक्षण संस्थाओं को दान देना स्वीकार किया। हम लोग अमरनाथ भाई के नेतृत्व में करीब 500 की संख्या में गाँधी समाधि से जन्तर-मन्तर तक जुलूस के रूप में गये। वहाँ भी अमरनाथ भाई ने दो अक्टूबर से आन्दोलन तथा आमरण अनशन की घोषणा करने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार अन्तिम क्षणों में सारी योजना फेल हो गयी। मैंने भी दिल्ली छोड़कर रामानुजगंज लौटने की घोषणा कर दी।

अरविन्द केजरीवाल व मनीष सिसोदिया जी दिल्ली में लगातार हम लोगों के सम्पर्क में थे तथा इस दिशा में लगातार चिन्तन और प्रयोग कर रहे थे। हमारी दिल्ली से वापसी के बाद दोनों लोग कुछ साथियों के साथ रामानुजगंज आये। वहाँ दो-तीन दिन बैठकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुयी। हम लोगों ने उन्हें लोक स्वराज्य की दिशा में होने वाले किसी भी आन्दोलन का पूरा-पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन के पक्ष में नहीं थे तथा राइट टू रिकाल, ग्राम सभा सशक्तिकरण तथा संविधान और संसद के सम्बन्धों जैसे विषयों को आन्दोलन का मुख्य आधार बनाना चाहते थे। अरविन्द जी की टीम किसी अन्य विषय से प्रारम्भ करके इन विषयों पर आना चाहती थी। इस तरह हमारे बीच थोड़ी सी असहमति के बाद भी लक्ष्य पर पूरी सहमति रही। परिणाम स्वरूप अरविन्द जी की टीम ने अन्ना जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को आगे करके आन्दोलन शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ कि अब तक टीम अन्ना जी की दिशा सन्तोषजनक है। तथा हम लोग उसमें सहभागी न होते हुए भी पूरा सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। यदि भविष्य में राइट टू रिकाल, ग्राम सभा सशक्तिकरण, संविधान संशोधन के अधिकार जैसे मुद्दों को जोड़ते हुए लोक संसद को आग रखकर कोई आन्दोलन होता है तो हमसब लोग सहयोग से भी आगे बढ़कर सहभागिता की दिशा में जा सकते हैं।

ज्ञान यज्ञ परिवार अब ज्ञान कान्ति परिवार हो गया है। सभी सदस्यों के विचारानुसार ऐसा हुआ। किसी भी सदस्य की असहमति का भाव इसमें दिखायी नहीं दिया। आज समाज में चिन्तन का अभाव दिख रहा है, किया करने वालों की कमी नहीं है। इसलिए निष्कर्ष भी नहीं निकल पा रहा है। हमने चिन्तन की प्रक्रिया को जीवित रखा है। कुछ लोग ऐसा कहने वाले भी मिलेंगे कि खाली चिन्तन से क्या होने वाला है। पानी पियेंगे-पानी पियेंगे ऐसा उच्चारण करने से पानी की प्यास नहीं बुझती, इसके लिए पानी का लोटा तो उठाकर लाना

ही पड़ेगा, तभी तो पानी मिलेगा। हमारा कहना है कि हमें ट्रेन में बैठकर अम्बिकापुर जाना है तो पहले यह पता करना पड़ेगा कि कौन सी ट्रेन वहाँ जायेगी, तभी तो बैठेंगे। विचार मंथन द्वारा हम समाज को यह बतायेंगे कि कौन सी ट्रेन मुम्बई जायेगी और कौन सी कलकत्ता। अब आपको जहाँ जाना हो उसी ट्रेन में बैठ जाइये। मुझे तो कहीं नहीं जाना लेकिन बाको को गुमराह होने से रोकना है। अतः चिन्तन करने और निष्कर्ष निकालने का कार्य करना है। किया करने वाले लोग बहुत हैं। इस निमित्त मैंने रामानुजगंज में रहकर बड़े घर को त्यागकर जंगल में जाकर छोटी सो झोंपड़ी में बैठकर चिन्तन शुरू किया। यह कार्य शहर में सम्भव नहीं था। मैं पाँच वर्ष दिल्ली में रहा। वहाँ मेरा चिन्तन फेल हो गया। यहाँ एक दूसरे की आलोचना सुनने में ही अधिकांश समय चला जाता था। अब मेरा आपसे यह कहना है कि आप ज्ञान कान्ति परिवार का जो कार्य कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है, ऐसा महसूस करिये। स्वान्तः सुखाय है। बाहर नहीं दिखेगा। अन्ना हजारे का इतना बड़ा आन्दोलन हुआ कोई यह नहीं कहेगा कि इसमें ज्ञान कान्ति परिवार का भी कोई योगदान है। अपने सारे लोगों ने अम्बिकापुर से गाड़ी लेकर अभियान के 15 दिन पहले से ही प्रचारार्थ परिश्रम किया। लेकिन कहीं भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करायी। हमें मंच पर जाना ही नहीं था। पीछे से ही सहयोग करना था। जैसे पौधे के अस्तित्व के लिए बीज अपने आपको समाप्त कर देता है। पौधे की पूजा होती है लेकिन बीज स्वयं कहीं नहीं दिखता। कबीर ने भी कहा है कि कबीरा खड़ा बजार में लिए लकुटिया हाथ। जो घर फूँके आपनो चले हमारे साथ। अतः मैं जो पेड़ लगा रहा हूँ आगे आने वाली पीढ़ी उसका फल चखेगी। हम किसी लालसा या लोभ के लिए यह कार्य नहीं कर रहे हैं। समाज के लिए मुझे कुछ करके जाना है, बस इतनी सी इच्छा है।

अविनाश भाई जी से भी मैंने रामानुजगंज आकर ग्राम सशक्तिकरण अभियान में लगने को कहा। इन्हें गाड़ी भी दी। इन्होंने कहा—मुझे कार्य करना है, गाड़ी हो या न हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पैदल चलकर भी गाँव-गाँव जाऊँगा। जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ उसे हर परिस्थिति में करूँगा। क्योंकि समाज के लिए एक आदर्श खड़ा करना है। अतः आप अपने को बीज समझिये। साँचे कि मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त होने के लिए है। हम तो केवल समाज की भलाई के उद्देश्य से इस कार्य के साथ जुड़े हैं, अन्य कोई चाह नहीं है। यही श्रेष्ठ आदर्श होगा। ज्ञान कान्ति अभियान का जिम्मा हमने स्वयं लिया है, किसी ने हमें जबरदस्ती नहीं साँपा है। जैसी भी शक्ति लगानी पड़े हम इस कार्य को आगे बढ़ायेंगे। हमने जिम्मा लिया है कि हम समाज में लोक स्वराज्य की भूख पैदा करेंगे। अन्ना जी की टीम ने इस कार्य को संभाला, वह आगे बढ़ी। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि अपने एक भी व्यक्ति के मन में ऐसा भाव नहीं है कि जो काम हमें करना चाहिये था उसका श्रेय अन्ना जी ले गये। हमारा भाव यह है कि जो कार्य हम नहीं कर सके वह उन्होंने पूरा कर दिखाया। वास्तव में वे धन्यवाद के पात्र हैं। अविनाश भाई यदि रामानुजगंज के जंगलों में घूम रहे हैं तो मेरे कार्य के लिए नहीं। उनके मन में लोक स्वराज्य के लिए तड़फ है, इसलिए घूम रहे हैं।

ज्ञान कान्ति अभियान के सदस्यों के अन्दर अभी एक बात की कमी दिखती है कि उनके अन्दर निरभिमान है स्वाभिमान नहीं जग रहा है। ये दोनों समय-समय पर उपयोगी व घातक दोनों होते हैं। अगर सामने वाला दुष्ट है तो निरभिमान घातक होता है क्योंकि समाज में शराफत के कण्ठ पर चढ़कर ही धूर्तता सफल होती है। यदि समाज में शरीफ लाग न रहे तो धूर्त भूखे मर जायें। ज्ञान कान्ति परिवार के लोगों को निरभिमान को स्वाभिमान में बदलने की आवश्यकता है। हम किसी को ठगेंगे नहीं, हमारी किसी के प्रति नोयत खराब नहीं है। हमको कोई कोष नहीं चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ हमें ठगे भी नहीं जाना है। सावधान रहना है। ऐसा न हो कि धूर्त लोग आपकी शराफत का दुरुपयोग करें। इसलिए आप निरभिमानी रहिये और समय-समय पर जब आवश्यकता हो स्वाभिमान को भी जगने दीजिए। स्वाभिमान का जगना बुरा नहीं है। आप को दोनों का अन्तर ठीक से समझना चाहिए।

हम निरन्तर विचार मंथन करना है, समाज हितार्थ अच्छे निष्कर्ष निकालना है। यह बीड़ा ज्ञान कान्ति परिवार के लोगों ने उठाया है। हमे अपने को बीज समझकर चलना है। यदि हमारी कोई अन्य महत्वाकांक्षा हो तो हमें ज्ञान कान्ति अभियान के अलावा लोक स्वराज्य संघ, व्यवस्था परिवर्तन मंच, लोक स्वराज्य मंच आदि अन्य संगठनों में शामिल हो जाना चाहिए। ये भी अपने ही कार्य हैं। जो त्याग कर सकते हैं वे ही ज्ञान कान्ति अभियान के साथ कार्य करें। यदि यहाँ जुड़कर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो गलती होगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अतः आप इतना महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं जो कई सौ वर्षों से भारत में नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि चिन्तन की धारा यहाँ लगभग सूख सी गयी है। हम उसे जगाने जा रहे हैं। इसमें लोक संसद का हमारा कनसैट भारत की लोक और तंत्र के बीच बढ़ती दूरी का समाधान दिखा रहा है। लोक संसद यानि गुलामी से मुक्ति। लेकिन यह भारत तक सीमित है, विश्व पटल पर इसका कोई महत्व दिखायी नहीं देता। लेकिन लोक स्वराज्य का प्रस्ताव विश्व की समस्याओं का समाधान है। यह सुनकर लोग पूछते हैं कि विश्व में लोक स्वराज्य कहाँ-कहाँ है? क्या यह मेरे जीवन काल में हो जायेगा? आवश्यक नहीं यह आपके जीवन काल में हो जाये। हमें तो यह उम्मीद भी नहीं थी कि अन्ना हजारे का आन्दोलन 15 दिन में इतना जोर पकड़ लेगा। लेकिन हो गया। कोई गारन्टी कैसे दी जा सकती है। कुछ भी हो सकता है। हम पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं। ज्ञान कान्ति अभियान अपने समय दानी कार्यकर्ताओं और अन्य कार्यकर्ताओं के बल पर इस कार्य में तत्परता से लगा है।

हमारे एक साथ चिन्तन हेतु बैठने से एक इतिहास बनेगा। जो अपनी निर्मिति स्वयं करता है। इसका लाभ समाज को मिलेगा। धैर्य रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमारा यह सत्र, प्रेरणा सत्र है जो हमें हमारे दायित्व और सीमाओं का ज्ञान प्रदत्त करेगा। विचार मंथन की प्रक्रिया, निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया, यह हमारा दायित्व है जो जारी रहना चाहिये। इस विषय पर ज्ञान कान्ति परिवार पूरी तरह स्पष्ट है। हमने जंगल में बैठकर जो रिसर्च किया है, उसकी कुछ परिभाषायें आज विश्व स्तर पर स्थापित हो रही हैं। हमें अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखना है। ज्ञान कान्ति अभियान के बैनर के नीचे किसी अन्य कार्य की नींव नहीं डालनी है। यही आज का संदेश है।

इसके बाद अध्यक्ष श्री रामकृष्ण जी पौराणिक ने ध्वज उतारकर महासचिव अभ्युदय द्विवेदी जी को समर्पित किया और नौ अप्रैल को रामानुजगंज में अगली बैठक की घोषणा की।

